मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
पेंशन फंड ट्रस्ट

MUMBAI PORT TRUST
PENSION FUND TRUST

प्रशासन रिपोर्ट
ADMINISTRATION REPORT

और / and

वार्षिक लेखा
ANNUAL ACCOUNTS
2020 - 2021

और / and

उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट
THE AUDIT REPORT THEREON

वर्ष 2020 - 2021 की रिपोर्ट में अंतर्निहित लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियों/अवलोकनों आदि पर की गयी कार्रवाई के विवरण सहित

WITH ACTION TAKEN NOTES ON AUDIT OBJECTIONS/OBSERVATIONS CONTAINED IN THE REPORT FOR THE YEAR 2020-2021

अनुक्रमणिका / INDEX

विषय सूची / CONTENTS	पृष्ठ क्र. Page Nos.
प्रशासन रिपोर्ट 2020-21 Administration Report 2020-21	1-14
31 मार्च 2021 का तुलन पत्र Balance sheet as on 31st March 2021	15
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा Income and Expenditure Account for the year ended 31st March 2021.	16
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियाँ और भुगतान Receipt and Payments for the year ended 31st March 2021.	17-18
31 मार्च 2021 के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ Schedules to balance sheet as on 31st March 2021.	19-23
लेखो पर टिप्पणियाँ - 31मार्च 2021. Notes on Accounts – 31st March 2021.	24-32
दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन निधि न्यास के लेखो पर की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट Audit Report on the Accounts of the Mumbai Port Trust Pension Fund Trust for the Year ended 31st March 2021.	33-41
दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन निधि न्यास के लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही नोट Action taken notes on the Audit Report on the Accounts of Mumbai Port Trust Pension Fund Trust for the Year ended 31st March 2021.	42-49

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
पेन्शन फंड ट्रस्ट

MUMBAI PORT TRUST
PENSION FUND TRUST

प्रशासन रिपोर्ट
2020-2021

ADMINISTRATION REPORT
2020-2021

न्यासी मंडल

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट

TRUSTEES OF MbPT PENSION FUND TRUST

****

अध्यक्ष, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट CHAIRMAN, MBPT	:	श्री. राजीव जलोटा SHRI RAJIV JALOTA
उपाध्यक्ष, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट DY. CHAIRMAN, MBPT	:	श्री. आदेश तीतरमारे SHRI ADESH TITARMARE
उप संरक्षक, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (वि.स.और मु.ले.अ के सांविधिक अधिकार के साथ) (सचिव और संयोजक) DY. CONSERVATOR, MBPT (WITH STATUTORY POWER OF FA&CAO) (SECRETARY & CONVENER)	:	कॅप्टन भबतोष चंद CAPT. BHABATOSH CHAND
सचिव, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट SECRETARY, MBPT	:	श्री. यु.आर. मोहन राजु SHRI U.R. MOHAN RAJU
श्रमिको के प्रतिनिधित्व कर रहे न्यासी TRUSTEE REPRESENTING LABOUR	:	श्री. केरसी ई. पारेख SHRI KERSI E. PAREKH
श्रमिको के प्रतिनिधित्व कर रहे न्यासी TRUSTEE REPRESENTING LABOUR	:	सुधाकर आर. अपराज SUDHAKAR R. APRAJ

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट
प्रशासन रिपोर्ट 2020-21

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट की प्रशासनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ.

ट्रस्ट के निर्माण की संक्षिप्त पृष्ठभूमि और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ट्रस्ट का प्रदर्शन निम्नानुसार है :

मुं.पो.ट्र. पेंशन फंड ट्रस्ट की स्थापना (मुंपोट्रपेफंट्र)

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मुं.पो.ट्र. (पेंशन निधि) विनियम तैयार किए गए. मुं.पो.ट्र. (पेंशन निधि) विनियम, 2004 के अनुसार 'मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट' के प्रथम न्यासियों के रूप में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सचिव और दो श्रम न्यासियों को नामित कर पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए एक अपरिवर्तनीय न्यास का सृजन किया गया. मुंबई पोर्ट के न्यासी मंडल और पेंशन फंड ट्रस्ट के प्रथम न्यासियों के बीच दि.14.1.2004 को हुए न्यास विलेख के निष्पादन से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट अस्तित्व में आया.

2. मुं.पो.ट्र.पेंशन फंड ट्रस्ट को मान्यता :

आयकर आयुक्त क्षेत्र 12(1), मुंबई ने आयकर अधिनियम 1961 की अनुसूची IV के भाग बी के नियम 2(1) के अधीन उन्हें सौंपे गए अधिकारों के अनुसार दि. 1.3.2004 के आदेश क्र. सीआयटी 12/पेंशन फंड/2003-04 द्वारा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट को अनुमोदन प्रदान किया था. मंत्रालय ने उनके दि. 6.4.2004 के पत्र द्वारा न्यास को अनुमोदन सूचित किया और दि. 21 मई 2004 के सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गयी.

3. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निधि प्रबंधन :

दि. 29.3.2004 के न्यासी मंडल की संकल्प संख्या 48 के अनुसार आयकर नियम, 1962 के नियम 89 के अनुपालन में, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआयसी) को पेंशन निधि के प्रबंधन हेतु निधि प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है. प्रत्येक वर्ष में वर्तमान तथा भविष्य के पेंशनरों के प्रति पेंशन देयता का भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन कर परिकलन किया जाता किया. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने रु. 419.35 करोड की राशि का अंशदान मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट में किया है. इस वित्तीय वर्ष के दौरान भा.जी.बी.नि. के साथ रु. 10 करोड की राशि निवेश की गई. उसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पेंशन फंड निवेश के मूल धन राशि से अकस्मात

निकाली गयी रु. 15.39 करोड राशि की प्रतिपूर्ति की गई. दि. 31.3.2021 को भा.जी.बी.नि. के साथ कुल निवेश रु. 8785.14 करोड है, जब कि दि. 31.3.2020 को यह रु. 8709.14 करोड था. भा.जी.बी.नि. ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 7.70% की दर से ब्याज घोषित किया है. भा.जी.बी.नि. द्वारा घोषित प्रतिलाभ में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 7.60% से वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7.70% की बढोतरी आयी है. 8709.14 करोड रूपये के निवेश पर उपार्जित 650.60 करोड रूपये ब्याज की राशि है.

4. बीमांकिक मूल्यांकन :

प्रत्येक वर्ष वर्तमान कर्मचारी और पेंशनरों की जानकारी भा.जी.बी.नि. को भेजी जाती है और बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाणपत्र उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भा.जी.बी.नि. ने वर्तमान पेंशनरों के प्रति रु. 8580.70 करोड और भविष्यकालीन पेंशनरों अर्थात वर्तमान कर्मचारियों के प्रति रु. 5070.18 करोड, कुल मिलाकर रु. 13650.88 करोड की कुल बीमांकिक देयता का परिकलन किया है. यह मूल्यांकन 6% के दर से वेतन में बढोतरी को ध्यान में रखकर किया गया है.

5. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से अंशदान :

ऐसी बीमांकिक देयता के आधार पर और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (पेंशन निधि) विनियम, 2004 में दिए गए मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा पेंशन फंड ट्रस्ट को वार्षिक अंशदान करके अंतर को मिटाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है. वर्ष के दौरान मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (एमबीपीटी) ने एमबीपीटी पेंशन फंड ट्रस्ट में रु. 419.35 करोड का अंशदान किया जब कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 314.32 करोड का अंशदान किया था.

6. मासिक पेंशन भुगतान हेतु भा.जी.बी.नि के साथ पेंशन फंड के निवेश की मूल धनराशि तथा उसपर अर्जित व्याज की निकासी.

घटते नकदी प्रवाह को देखते हुए, भा.जी बी.नि. के साथ पेशन फंड के निवेश पर अर्जित ब्याज से निकासी करके मासिक पेंशन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, भा.जी.बि.नि ने 7.60% का व्याज दर घोषित किया था. अत:, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 7.00% का ब्याज दर अनुमानित था तथा रु 600 करोड की राशि मासिक पेंशन भुगतान हेतु भा.जी.बी.नि के साथ निवेश पर ब्याज से बर्ष के दौरान निकाली गयी. तथापि, वित्तिय बर्ष 2020-21 के लिए भा.जी.बी.नि ने 7.70% दर से व्याज घोषित किया है.

7. निधि की स्थिति :

दि. 31.3.2021 को निधि शेष रु 8719.34 करोड है जब कि दि. 31.3.2020 को रु.8647.25 करोड थी. रु.13650.88 करोड का बीमांकिक मूल्यांकन तथा रु.8719.34 करोड की संग्रहित निधि को ध्यान में रखते हुए निधि में रु. 4931.54 करोड तक की कमी है. यह कमी आनेवाले कुछ वर्षो में राजस्व की उपलब्धता होने पर पूरी होने की अपेक्षा है.

8. वित्तीय स्थिति :

वर्ष के दौरान, इस निधि ने उसके निवेशों पर रु 650.66 करोड ब्याज अर्जित की रु. 1017.52 करोड के पेंशन भुगतान में पेंशन सुधार, समेकन तथा समाधान कारण उत्पन्न बकाया राशि तथा जिवित प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने के कारन रोके गये पेंशन के कारण उसके प्रति बही खाते में लिखा गया रु 296.62 करोड का उपर्जित व्यय शामिल है. न्यास ने वर्ष 2020-21 के दौरान रु. 369.50 करोड का घाटा उठाया. विगत वित्तीय वर्ष में यह घाटा 352.41 करोड रुपये था. घाटा संग्रहित निधि में प्रभारित किया गया है.

9. मार्च 2020 और 2021 को पेंशनरों की स्थिति :

(ए) पेंशन भुगतान के आधार पर :

अनु.क्र	पेंशन का प्रकार	दि. को पेंशनरों की संख्या	
		31 मार्च 2020	31 मार्च 2021
1.	अधिवर्षिता	20132	19511
2.	परिवारिक	13466	13033
3.	सानुग्रह	744	619
	कुल :-	**34342**	**33163**

(बी) पेंशनरों की संख्या के आधार पर :

अनु. क्र	विविरण	दि. को पेंशनरों की संख्या	
		31 मार्च 2020	31 मार्च 2021
1.	भुगतान किया गया पेंशन	34342	33163
2.	अस्थायी रूप से रोका गया		
	(i) आधार कार्ड/शपथ पत्र चिकित्सा प्रमाण पत्र आदि प्रस्तूत न करना	224	214
	(ii) जीवित प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना	607	1684
	पेंशनरों की कुल संख्या :-	**35173**	**35061**

10. वर्ष के दौरान निपटाए गए पेंशन मामलों की संख्या :

प्रकार	2019-2020	2020-2021
अधिवर्षिता	977	654
पारिवारिक	571	678
सानुग्रह	0	0
कुल	**1548**	**1332**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 3.80% नये पेंशन मामलों में वृध्दि हुई जबकि विगत वित्तीय वर्ष यह 4.40% थी.

11. वर्ष के दौरान मृत्यु मामलों की संख्या :

प्रकार	2019-2020	2020-2021
अधिवर्षिता	683	1137
पारिवारिक	414	566
सानुग्रह	62	68
कुल	**1162**	**1771**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मृत्यु अनुपात 5.05% रहा जबकि विगत वित्तीय वर्ष में यह 3.30% था.

12. जीवित प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण रोके गये पेंशन के मामलों की संख्या

प्रकार	पेंशनरों की संख्या	भुगतान न की गयी राशि (रु लाख में)
(i) वित्तिय वर्ष 2020-21 तक	1684	891.07
(ii) वित्तिय वर्ष 2020-21 के दौरान.	1326	25.78

13. पेंशनरों की संख्या, जिन्हे अतिरिक्त पेंशन अदा की गयी.

पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनरों की आयु	अतिरिक्त लाभ (%)	कुल पेंशनर 2019-2020	कुल पेंशनर 2020-2021
80 वर्षो से 85 वर्षो से कम आयु	20	1499	1329
85 वर्षो से 90 वर्षो से कम आयु	30	1021	852
90 वर्षो से 95 वर्षो से कम आयु	40	372	357
95 वर्षो से 100 वर्षो से कम आयु	50	93	142
100 वर्ष और उसके उपर	100	13	15
कुल		**2998**	**2695**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 7.69% बहुत वरिष्ठ नागरीक है जबकि विगत वर्ष में यह 8.52% थी.

14. पेंशनरों को अदा किए गये महँगाई भत्ते का ब्यौरा :

अनु. क्र.	अवधि	वित्तीय वष 2019-2020 के लिए %			वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए %		
		आधार सूचकांक			आधार सूचकांक		
		1708	**126**	**277**	**1708**	**126**	**277**
1.	अप्रैल -जून	258	142	11	291	161	19
2.	जुलै-सितंबर	267	148	12	288	160	19
3.	अक्तुबर-दिसंबर	275	152	15	298	166	20
4.	जनवरी-मार्च	284	158	17	298	166	20

मार्च 2020 की तुलना में मार्च 2021 का आधार सूचकांक 1708, 14% बढा था.
मार्च 2020 की तुलना में मार्च 2021 का आधार सूचकांक 126, 8% बढा था.
मार्च 2020 की तुलना में मार्च 2021 का आधार सूचकांक 277, 3% बढा था.

14.1 भुगतान के माध्यम वार मासिक पेंशन भुगतान :

अनु.क्र.	भुगतान का माध्यम	2019-20	2020-21
ए.	**बैंक के माध्यम से**	(रु. करोड में)	(रु. करोड में)
1.	सीबीएस (एसबीआई)	272.34	264.79
2.	इसीएस	504.20	564.54
3.	एनइएफटी	187.97	160.16
4.	निवल उपर्जित पेंशन	33.69#	28.03*
	कुल	**998.20**	**1017.52**

* निवल उपर्जित पेंशन में 31.3.2021 को यथा स्थिति भुगतान किये गये रु 36.48 करोड पेंशन तथा रु 4.84 करोड के समापन बकायों को समायोजित करने के बाद रु 3.61 करोड का उपर्जित पेंशन शामिल है

निवल उपर्जित पेंशन मे 31.3.2020 को यथा स्थिति रु 2.21 करोड का समापन किये गये बकायों को समायोजित करने के बाद रु 35.90 करोड का उपर्जित पेंशन शामिल है.

14.2 बकायों का भुगतान :

तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के वेतन सुधार 2017 के कारण 01.4.2019 से सुधारित पेंशन लागू होने के तिथि तक रु 22.69 करोड के बकायों का भुगतान 1415 पेंशनरो को वित्तीय वर्ष 2020-21 के माह नवंबर 2020 के दौरान किया गया.

14.3. संराशीकरण का भुगतान :

2020-21 वर्ष के दौरान रु. 135.26 करोड पेंशन के संराशीकरण मूल्य राशि का भुगतान किया गया है जब कि पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में यह रु. 181.15 करोड था.

14.4 वर्ष के दौरान पेंशन नियमों/विनियमों में संशोधन:

वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेंशन नियम/विनियमों में कोई भी संशोधन नहीं किया गया.

14.5 भा.जी.बी.नी द्वारा पेंशन की प्रतिपूर्ति/भूगतान की स्थिति:

वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय जीवन बीमा निगम (भा.जी.बी.नि.) से पेंशन के भुगतान के लिए रु 600 करोड निकाले गये.

15. अन्य महत्वपूर्ण विशेषताये

➢ **अधिकतम पेंशन -**

विगत वर्ष में 1,02,110/- रूपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1,18,487/- रूपये अधिकतम पेंशन भुगतान किया गया है.

➢ **डिजिटल लाइफ प्रमाणपत्र -**

नवंबर -2016 से "ई-जीवनप्रमाण" के माध्यम से पेंशनरों के डिजिटल लाइफ प्रमाणपत्र पंजीकरण के लिए प्रणाली भी उपलब्ध करायी गयी है. 2019-2020 के दौरान कुल 2020 पेंशनरों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है और उनके लाइफ प्रमाणपत्र डिजिटल फार्म में अग्रेषित किये है.

➢ **मोबाईल ॲप मुंपोट्र ई-सेवा**

पेंशनधारकों को उनके मासिक पेंशन के विवरण की जानकारी के लिए तथा मुंपोट्र को अपनी शिकायत दर्ज करने के तथा ऐसी शिकायत की स्थिति को जानेन के लिए "मुंपोट्र ई-सेवा" अप्लीकेशन है. यह सेवा नवंबर, 2017 से मुंपोट्र वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी है तथा यह अन्ड्रॉइड एवं आयओएस आधारित मोबाइल फोनों से भी प्राप्त की जा सकती है. अप्लीकेशन निम्नलिखित सुविधा उपलब्ध करता है -

1) **माई प्रोफाइल ब्यौरा -**
इसमें पेंशनरों का ब्यौरा जैसे उनकी पीपीओ संख्या, स्थिति, आधार संख्या , पॅन संख्या, जन्मतिथि, पता, नियुक्ति की तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, खाता संख्या, बैंक का नाम आदि उपलब्ध होते है.

2) **परिपत्रक -**
महत्वपूर्ण परिपत्रक तथा लाइफ प्रमाणपत्र फार्म्स डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होते है.

3) **फीडबॅक/ आशंका -**
पेंशनर उनकी शिकायतें दर्ज कर सकते है. पता, वैवाहिक स्थिति, बैंक विवरण, केवायसी आदि में परिवर्तन के लिए अनुरोध भी दर्ज करा सकते है.

4) **ईआरपी का कार्यान्वयन शुरु हो रहा है.**

16. आभार:

मैं, मुं.पो.ट्र. पेंशन फंड ट्रस्ट के न्यासियों के समर्थन तथा मार्गदर्शन के लिए उन्हें अपना सद्भावपूर्वक धन्यवाद देता हूँ. पेंशन ट्रस्ट को मजबूत बनाने के लिए मैं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के न्यासियों का अत्यंत आभारी हूँ. मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ और आगामी वर्षों के लिए अच्छी आय की अपेक्षा करता हूँ. न्यास विलेख में उल्लिखित विद्यमान नियमों तथा मार्गदर्शी तत्वों के अनुसार निधि के उचित प्रशासन के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के वित्त विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त समर्पित सेवाओं के लिए मैं अपनी प्रशंसा अभिलिखित करना चाहूँगा.

मैं पेंशनरों को कुशल सेवाएँ प्रदान करने के लिए तथा उनकी शिकायतें दूर करने के लिए वित्त विभाग की पेंशन शाखा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रयासों की भी विशेषरूप से सराहना करता हूँ.

हस्ता/-

(राजीव जलोटा)

अध्यक्ष, मुं.पो.ट्र पेंशन फंड ट्रस्ट

स्थान : मुंबई

दिनांक :